

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: सीआरओ/राआम/2015-16/48/255


दिनांक : 23/12/15

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश क्रमांक एफ.7(46)नविवि/08 दिनांक 28.05.10 के क्रम में मण्डल द्वारा संशोधित नीलामी प्रक्रिया हेतु, आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1034/650 दिनांक 28.01.2014 जारी किये गये थे। आदेश के बिन्दु संख्या 10(6) में निम्नानुसार प्रावधान है। “ब्याज की गणना निर्धारित अवधि के बाद भूतलक्षी प्रभाव से नीलामी बोली स्वीकृति करने के दिनांक से वसूलनीय होगी।” इस संबंध में विभिन्न खण्ड/वृत्त कार्यालय द्वारा ब्याज की गणना के संबंध में जानकारी हेतु पत्रावलियां मुख्यालय में प्रेषित की जा रही हैं।


अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि नीलामी में आवंटित सम्पत्तियों की मांग राशि निर्धारित समय पर क्रेता द्वारा यदि जमा नहीं करायी जाती है तो निर्धारित प्रक्रियानुसार क्रेता के आवेदन करने पर वसूलनीय ब्याज की गणना आवंटन पत्र जारी करने की तिथि से की जावेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित है।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार/अध्यक्ष, रा.आ.मं., जयपुर।
2. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, राआम, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/तृतीय एवं अध्यक्ष अवसायन समिति, रा.आ.मं., जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त.....
6. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) राआम, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
8. सहायक लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-.....
9. उप-आवासन आयुक्त-वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. संबंधित पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य राजस्व अधिकारी